

पञ्चायत/पञ्चायतान के अधिकारिता

13.5.20

पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 13.5.20...को प्रस्तुत करें।

पञ्चायत/पञ्चायतान के अधिकारिता

13.5.20

कोरोना लॉकडाउन  
पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. ... ..को प्रस्तुत करें। 12.6.20

पञ्चायत/पञ्चायतान के अधिकारिता

12-6-20

पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. ... ..को प्रस्तुत करें। 17-7-20

निर्भरता: वकुलम डेप्य प्रतिवादी प्रप की तलबी हेतु एडवोकेट चाहा जो दिमा जाता है पत्रावली कि 23/8/20 को पर है।

सहायक कमिश्नर (एस.डी.ओ.)  
जायल, जिला नागौर

27/8/20

पञ्चायत/पञ्चायतान के अधिकारिता

पीठासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक. 24/10/20- को प्रस्तुत करें।

Not press  
27.10.20

27/10/20: वकील वादी डेप्य वकील वादी ने जाहिर किया कि वादीगण वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वकील वाद को जरिये "नोट प्रेस" जारी किया जाते। वकील वादी को निवेदन किया जाता है कि मिमल जरिये नोट प्रेस जारी ही जाती है। पत्रावली को जल्द से जल्द होकर शक्ति देकर ले।

सहायक कमिश्नर (एस.डी.ओ.)  
जायल, जिला नागौर